फर्द अहकाम

अज अदालत–**न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर**

कुलदीप सिंह बनाम जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर।

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर 04 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
20.01.2022	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुलदीप सिंह पुत्र महेशचन्द ग्राम व पोस्ट जघीना, भरतपुर तह0 व जिला भरतपुर की अपील जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्य मामलात विभाग भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने यह अपील जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्य मामलात विभाग भरतपुर के विरूद्व पेश की गई है। आर.टी.आई एक्ट के तहत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्य मामलात विभाग भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लौटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील सक्षम लोक सूचना अपीलीय अधिकारी निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर राज0	पत्रांक 25 25-1-22 [illegible]